

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प .....

- आदेश -

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... कोटडी .....  
व भू.अ.नि. कोटडी ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... रेलमगरा ..... / नायब  
तहसीलदार ..... गिण्डुड ..... की अनुसारा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुराण में ग्राम कोटडी ..... तहसील रेलमगरा ..... व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 ..... में खाता संख्या 438 ..... में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
OL	कोटडी	438	भैरूलाल पुत्र डेवकिशन हिस्सा - 1/3 जाति-कुम्हार सा. डे. खतिडार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) 588J शाब्बा राजपुरा दरीबा	भैरूलाल पुत्र डेवकिशन हिस्सा - 1/3 जाति-कुम्हार सा. डे. खतिडार राहिन हिस्सा - 1/3 (पूर्ण खाता) 588I शाब्बा राजपुरा दरीबा

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर .....

क्रमांक - 12025/140  
प्रतिलिपि -

दिनांक - 3/10/3

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर .....